तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही सह इनीशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
22/2/2021	पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुयी। वकील प्रार्थी उप0। पत्रावली में बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया था कि प्रार्थी का सही नाम रामसिंह पुत्र भूरसिंह है। परन्तु विरासत का नामान्तरकरण दर्ज कर राजस्व रिकार्ड तैयार करते समय राजूसिंह पुत्र भूरसिंह दर्ज कर दिया। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में बैंक पासबुक, पहचान पत्र, आधार कार्ड की प्रतियां पेश किये।	

बहस पर मनन व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम राजूसिंह पुत्र भूरसिंह अंकित है। प्रार्थी का कथन कि प्रार्थी का सही नाम रामसिंह पुत्र भूरसिंह की पुष्टि बैंक पासबुक, पहचान पत्र, आधार कार्ड से होती है। प्रार्थी के भाई पाबूदान सिंह, कृष्ण सिंह के लिखित एवं तस्दीक शुदा शपथ पत्र से भी इस तथ्य की पुष्टि होती है। इस प्रकार प्रस्तुत रिकॉर्ड, दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाना उचित है।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है तथा राजस्व ग्राम बल्लभदासपुरा स्थित भूमि खाता संख्या 85 के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में राजूसिंह पुत्र भूरसिंह के स्थान पर रामसिंह पुत्र भूरसिंह दुरुस्त कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं। शेष इन्द्राजात बदस्तूर [illegible]

निर्णय [illegible] इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brejesh Kumar
Date: 2021.02.27 20:57:01 IST
Reason: SelfAttested

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना